फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

गेनाराम
बनाम
गंगाराम वगै.

किस्म मुकदमा 223 आर.टी एक्ट न. 162 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.2022	पत्रावलीयां बाद जांच पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री कैलाश एन सारण एवं केवियटर अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2016 बअनवान गंगाराम वगैरा बनाम वगताराम वगैरा में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई। एडमिशन के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील के एडमिशन स्टेज पर अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 09 अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुऐ दिनांक 31.08.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी करवाई तथा तहसीलदार गुड़ामालानी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर राजस्व कर्मचारियों ने उतरदाता संख्या 01 व 02 के साथ मिलीभगत करते हुऐ मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवाड़े व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर गौर किये बिना व अपीलांटस से आपति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित की गई। हाजा न्यायालय के सक्षम अन्य पक्षकारों द्वारा कोई अपील पेश की गई तो उससे अपीलांटस अपील करने से बाधित नहीं है। अतः हस्तगत अपील में सारभूत कानूनी बिंदु नियत होने से से एडमिशन करते हुए स्थगन आदेश पारित किया जावे। केवियटर/रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा पेश की गई अपील न्यायालय में चलने योग्य नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध उतरदाता संख्या 04 से 10 व 18 द्वारा माननीय न्यायालय में अपील की जा चुकी हैं जो अपील अंतिम रूप से दिनांक 15.12.2022 को निर्णित की जा चुकी है जिसके विरूद्ध अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन हैं जिसकी पेशी तारीख 26.12.2022 को रखी गई है जिसमें भी कैवियट दायर की गई हैं। उतरदाता	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 04 से 10 व 18 माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त नहीं कर सके ओर उनके द्वारा प्रस्तुत की गई अपील माननीय न्यायालय द्वारा खारीज करने पर उनके द्वारा कहने पर ही अपीलांटस गेनाराम अकेले ने हस्तगत अपील पेश की हैं जबकि तुलसाराम के करीबन 07 वारिस हैं जिसमें से उतरदाता संख्या 11 से 16 ने माननीय न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की हैं जो अपीलांट गेनाराम के सगे भाई व माता है जिन्हें बंटवाड़ा होने व माननीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने के संबंध में आज दिन तक कोई ऐतराज नहीं है। हस्तगत वाद में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.12.2020 तैयार करते समय नायब तहसीलदार गुड़ामालानी श्री बन्नाराम जी, जिन्हें तहसीलदार जोधसिंह के रिटायर्ड होने पर दिनांक 23.04.2020 को तहसीलदार का चार्ज दिया दिया गया था, ने जिसे तहसीलदार गुड़ामालानी की हैसियत से बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया था, न कि नायब तहसीलदार की हैसियत से। इस तथ्य माननीय न्यायालय ने अपने अपील संख्या 78/2022 में निर्णय दिनांक 15.12.2022 में स्वीकार करके अपील दिनांक 15.12.2022 को खारिज की गई। मातहत अदालत एवं माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांटस की अपील एडिमिशन किये जाने योग्य भी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण ने अपील संख्या 78/2022 पेश की गई जो बाद सुनवाई दिनांक 15.12.2022 को खारिज की गई। उपरोक्त अपील में अपीलांटस के नाम रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाया गया उसके बावजूद न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध पेश अपील संख्या 78/2022 का निस्तारण दिनांक 15.12.2022 को करने के पश्चात **अपीलांटस द्वारा पुनः निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध अपील पेश** की गई जो दुरभीसिंधी का कारण इंगित करता है। अपीलांट की अपील में यह भी उजर किया गया है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया जबकि श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक प.1()(1)कार्मिक/2019/619 दिनांक 23.04.2020 को एक आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया गया कि श्री जोधसिंह तहसीलदार गुड़ामालानी को सेवानिवृति पर दिनांक 30.04.2020 को मध्यान्हन पश्चात कार्यमुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे तहसीलदार गुड़ामालानी एवं धारित अन्य पदों का कार्यभार श्री बन्नाराम नायब तहसीलदार गुड़ामालानी को सुपुर्द कर सेवानिवृति पर प्रस्थान करेगें। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि श्री बन्नाराम नायब तहसीलदार गुड़ामालानी ने बकायदा तहसीलदार गुड़ामालानी की हैसियत से अपीलाधीन आराजी का मौका देखकर अपनी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया, जिस पर दिनांक 16.05.2022 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांटस स्वयं मौके पर उपस्थित रहा लेकिन हस्ताक्षर करने इंकार किया जिसका स्पष्ट उल्लेख विभाजन प्रस्ताव में किया गया है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार गुड़ामालानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2022 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध उतरदाता संख्या 04 से 10 व 18 द्वारा हाजा न्यायालय में अपील संख्या 78/2022 की जा चुकी हैं जो अपील अंतिम रूप से दिनांक 15.12.2022 को निर्णित की जा चुकी है। **अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पुनः निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई जिसका अंतिम निस्तारण हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2022 को किया जा चुका है इसलिए अपील चलने योग्य नहीं है।** अपीलांटस द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध पेश हस्तगत अपील न्यायालय का समय जाया करने की नियत से पेश की गई। यदि अपीलांटस हाजा न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो सक्षम स्तर पर चाराजोही करे। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटस की अपील एडमिशन स्टेज पर ही सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपीलांटस की अपील को एडमिशन स्टेज पर सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
कोटा